विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

officebhopal@yahoo.co.in

क्रमांक 414 /22/वि-8/मॉनिट/2019 भोपाल दिनांक 30/09/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

विषय : अपर मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक वीडियो कॉफ्रेंस दिनांक 26.09.2019 का कार्यवाही विवरण बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपर मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक **26.09.2019** का कार्यवाही विवरण **संलग्न** कर दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(अजय शुक्ला)
उपायुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय

पृ.क्र. 415 /22/वि-8/मॉनिट/2019 भोपाल दिनांक 30 /09/2019

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त, (विकास) संभागायुक्त कार्यालय समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/सचिव म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

उपायुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय

दिनांक 26.09.19 को
आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस का कार्यवाही विवरण

1. स्वच्छ भारत मिशन

1.1 जिला सिवनी, विदिशा, मंदसौर, खरगोन, मंडला, सीहोर, बालाघाट, गुना, दमोह, बुरहानपुर बैतुल, होशंगाबाद, देवास, सिंगरौली, अनुपपुर, सागर, नरसिंहपुर रीवा, उमरिया, एवं शहडोल को LOB-1 अंतर्गत निर्मित शौचालयों हेतु राज्य स्तर से जारी की गई राशि के समतुल्य वित्तीय प्रगति IMIS में एक सप्ताह में दर्ज किये जाने के निर्देश दिए गए|

1.2 "लोकचित्र से स्वच्छता संवाद" अभियान हेतु संलग्न किये गए प्रशिक्षक पेंटर्स एवं महिला पेंटर्स के बैंक विवरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही आगामी एक सप्ताह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गए।

2. प्रधान मंत्री आवास योजना

2.1 गैर पायलट वर्ष 2019-20 के जिलों को प्रदत लक्ष्य के अनुक्रम में सभी जिलें यह सुनिश्चित करेंगे कि शतप्रतिशत स्वीकृतीयां जारी करते हुए आगामी किश्त जारी करें।

2.2 वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के समस्त अपूर्ण आवास 31 अक्टूबर 2019 के पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

3.1 **श्रमिक नियोजन** : यह ध्यान में रखते हुए की चालू वर्ष के अन्तिम त्रैमास में पंचायत चुनाव निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। अत: वर्तमान त्रैमास में जिलों को अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने के निर्देश दिये गए ताकि लेबर बजट अनुसार उपलब्धि की जा सके।

3.2 **शून्य व्यय एवं मानव दिवस**: वर्तमान वर्ष में शून्य व्यय एवं शून्य मानव दिवस वाली पंचायतों में शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। यदि संबंधित ग्राम पंचायत वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है तो कृपया नोटिफिकेशन की प्रति परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि पंचायतों को नरेगा सॉफ्ट से विलोपित किया जा सके।

3.3 **अपूर्ण कार्य** : विगत वर्षों के प्रगतिरत कार्य को अभियान चलाकर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गए। जिलों को अवगत कराया गया कि ऐसे कार्य जिन पर स्वीकृति के 2 वर्ष पश्चात कोई भी व्यय नहीं हुए हैं, ऐसे कार्यों को श्रेणीवार समीक्षा कर लिया जाए तथा ऐसे कार्य जिन पर कार्य नहीं किया जाना, उन्हें जिले स्तर पर उपलब्ध विकल्प

से विलोपित किया जा सकता है। हितग्राही मूलक कार्यों को विलोपित करने में विशेष सावधानी बरती जाए।

3.4 विगत वर्ष ऐसे अपूर्ण कार्य जिन पर सामग्री में व्यय किया जा चुका किंतु मजदूरी पर व्यय नहीं हुआ है अथवा ऐसे कार्य जिन पर थोड़ा (शून्य से 5 प्रतिशत) व्यय किया गया है, इस विषय में जिलों को निर्देशित किया गया कि उक्तानुसार कार्यों को चिन्हित किया जाए कि किन कार्यों पर कार्य आगे जारी रखना है और किन पर नहीं। यह संभव है कि उक्तानुसार कार्यों में से कुछ कार्यों को यथास्थिति रद्द किया जाना है, ऐसे कार्यों को श्रेणीवार कारण सहित सूचीबद्ध करके उपलब्ध जानकारी उपलब्ध् कराई जाए। कार्यों को यथास्थिति रद्द करने का विकल्प नरेगा सॉफ्ट में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जिलों से उक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव के उपरांत ही भारत सरकार को सॉफ्टवेयर में विकल्प का अनुरोध भेजा जावेगा।

3.5 ऐसे कार्य जिन पर स्वीकृति राशि से अधिक व्यय हो चुका है ऐसे कार्यों को शीघ्र नरेगा सॉफ्ट में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

3.6 **NRM के कार्यों पर व्यय** : समस्त जनपदों में NRM के कार्यों पर 65 प्रति व्यय होना अनिवार्य है। कई जनपदों में NRM के कार्यों के कार्य 30 प्रतिशत से भी कम है। (उदाहरण स्वरूप - जिला रायसेन में जनपद पंचायत बाडी, सांची एवं उदयपुरा, जिला मुरैना की जनपद पंचायत अम्बाह, जिला पंचायत भिंड की जनपद पंचायत रौन, जिला होशंगाबाद की जनपद पंचायत पिपरिया एवं सोहागपुर, जिला रीवा की जनपद पंचायत रीवा, जिला विदिशा की जनपद पंचायत बासौदा) कृपया सुधार लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

3.7 **जियो टैगिंग** : वर्ष 2018-19 के बाद पूर्ण कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य है, किंतु पोर्टल पर प्रदर्शित जिलों के प्रगति अत्यंत न्यून है। जिलों को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूर्ण कार्यों (फेस-1 एवं फेस-2) की शत प्रतिशत जियो टैगिंग करने हेतु निर्देश् दिये गए। जियो मनरेगा फेस 2 अंतर्गत प्रगतिशील कार्यों की stage 2 की जियो टैगिंग की समीक्षा की गई, अधिकतर जिलों की प्रगति न्यून है, जिलों को तत्काल stage 2 की पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

4. <u>पंचायतराज</u>

4.1 स्टेडियम निर्माण के समस्त कार्यों की स्वीकृति / पूर्ण / अपूर्ण / निरस्त होने की जानकारी, वर्ष 2018-19 तक के समस्त अस्थाई अग्रिमों की वसूली / समायोजन आगामी 15 दिवस में पूर्ण करते हुए एवं वर्ष 2006-07 से वर्ष 2016 तक के समस्त योजनाओं के अपूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा कर पूर्णता संबंधी प्रमाण पत्र (यदि वर्तमान में भी अपूर्ण है तो उचित कारण सहित)।

4.2 समस्त जिले उपरोक्त तीनों प्रमाण-पत्र आगामी सप्ताह की वीडियो कॉफ्रेंस के पूर्व अनिवार्यत: दिनांक 01.10.2019 तक ईमेल-dirpanchayat@mp.gov.in, officebhopal@yahoo.co.in, vsabha11@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि विधानसभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायतराज लेखा समिति की बैठक दिनांक 25.09.2019 में प्राप्त निर्देशानुसार समाधानकारक जानकारी से विधान सभा को अवगत कराया जा सके।

4.3 वर्ष 17-18 और 18-19 के कार्यों हेतु प्रथम किश्त जारी होने के बाद भी कार्य स्थल पर कार्य आप्ररंभ हैं या निरस्त किए गए हैं। ऐसे निरस्त कार्यों की जानकारी कतिपय जिलों के द्वारा नहीं भेजी गयी है। जानकारी शीघ्र भेजने बाबत निर्देश दिए गए।

4.4 फेसीलिटेटर का चयन एवं पोर्टल पर Entry का कार्य, मिशन अंत्योदय एवं GPDP के पंजीयन प्रविष्टि का कार्य 02 अक्टूबर तक पूर्ण करांए।

4.5 जिला पंचायत/ जनपद पंचायत के कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में कुछ जिलों के द्वारा जानकारी नहीं दी गयी, शेष जिलों के द्वारा शीघ्र जानकारी भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

5. <u>मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम</u>

5.1 मध्य प्रदेश के समस्त जिलों को मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत वर्ष 2006-07 से 2017-18 तक स्वीकृत किचिनशेड जिनकी प्रति यूनिट लागत रू 60 हजार एवं 1.54 लाख के मान से किचिनशेड निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी। जिनकी समीक्षा दिनांक 23,24,25 सितम्बर 2019 को मुख्यालय स्तर पर की गई जिसमें पाया गया कि 03 से 04 जिलों को छोड़कर अन्य की स्थिति असंतोषप्रद है। वर्तमान में भी कई कार्य अपूर्ण/अप्रारंम है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में 04 प्रकार के किचिनशेड निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। समीक्षा किये जाने पर कई जिलों में राशि का आवंटन जारी नहीं किया गया है। किचिनशेड निर्माण हेतु निर्धारित एजेन्सी ग्राम पंचायत को बुलाकर समीक्षा करें, जिससे दिसम्बर 2019 तक कार्य पूर्ण करांए जांए।

6. <u>प्रस्तुतीकरण</u>

6.1 आगामी VC में CEO, ZP जिला रीवा, टीकमगढ, जबलपुर एवं अनूपपुर के द्वारा नदी पुनर्जीवन पर प्रस्तुतीकरण देंगे।

6.2 जिला पंचायत इन्दौर के द्वारा ग्राम सचिवालय एवं जन आकांक्षा पोर्टल का प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।

20.9.19

(संदीप यादव)

सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग